

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

①

फर्द अहकाम

क्र. 44/12

तारीख 27-1-6-12

उन्वान - अरत लाल कोठे 1/5 किराडी नैके

दावा - अरत इस्तकराएक तकास्मा <sup>न्यायी निवेधज्ञा</sup> कोषा निवेधज्ञा

वादी की ओर से श्री रामचोली कुमा एडवोकेट ने दावा अरत इस्तकराएक तकास्मा, न्यायी निवेधज्ञा पेश किया / अक्लिसन किया / प्रतिवादी सामन से उलबकरे / दावा दर्ज जिरा एर पत्रावली दिनांक 2-7-12 को पेश हो।

1314-20

4-6-12

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

27/12

वादी पक्षीत उप.। प्रति. नं. 1, 3, 4, 5 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमा शर्मा A.M. ने अकालतनामा व जवाब दावा पेश किया प्रति. नं. 2, 6, 7 कावज्जद लामील। सूचना उप. नहीं होने से जेके पिज्ड एक पक्षीप कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। वास्तु कोषा तनकीपात दिनांक 25-7-12 को पेश हो।

25-7-12

वकूलाय उपस्थित/वास् की ओर से कार्य स्थगन रखा पीठासन अधिकारी भ्रमण/मीटिंग/अवकाश पर है। गतानुसार दिनांक 16-8-12 को पेश हो

16/8/12

वकूलाय उपस्थित/वास् की ओर से कार्य स्थगन रखा पीठासन अधिकारी भ्रमण/मीटिंग/अवकाश पर है। गतानुसार दिनांक 20-8-12 को पेश हो

20/8/12 वास् अखीर अरत कार्य स्थगित रखा वास् तनकी दिनांक 18-10-12 को पेश हो। कु

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम ③

दिनांक

गरतलाल फर्द अहकाम पिरोडी कौ

12/5/15

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं है। कर्टीब्या आवाज दिलाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्ब्रा से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)